बौद्धिक संपदा
भारत
एकस्व / अभिकल्प / व्यापार चिह्न
भौगोलिक उपदर्शन / कॉपीराइट
आरजीएनआईआईपीएम

INTELLECTUAL PROPERTY
INDIA
Patents / Designs / Trade Marks
Geographical Indications / Copyright
RGNIIPM

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
**कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न**
**Office of The Controller General**
**Patents, Designs & Trade Marks**
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

बौद्धिक संपदा भवन
BOUDDHIK SAMPADA BHAWAN
प्लॉट न. / Plot No. - 32
सेक्टर / Sector -14, द्वारका / Dwarka
नई दिल्ली / New Delhi, भारत / India
दूरभाष / Tel : +911125300205
ई-मेल / E-Mail : cgoffice.in@nic.in
वेबसाइट / Website: www.ipindia.gov.in

संख्या/No. : No. CGPDTM-14020/10/2021-CGOFFICE-Part (3)/3741 दिनांक/Date: 23.06.2026

# सार्वजनिक सूचना
# व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2027 एवं
# पेटेंट एजेंट परीक्षा 2027

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यपार चिह्न द्वारा व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 तथा पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 का आयोजन किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

## 1. व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा (टीएई), 2027

1.1 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 का आयोजन संभावित रूप से **09 जनवरी, 2027 (शनिवार) को इन 15 केंद्रों पर किया जाएगा - अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे एवं तिरुवनंतपुरम ।**

1.2 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

1.3 व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 148(2) के अंतर्गत व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए अर्हक अंक, पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए लागू अर्हक अंकों के समान होंगे।

1.4 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए ई-मेल द्वारा trademarkagtexam.tmr@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

## 2. पेटेंट एजेंट परीक्षा (पीएई) 2027

2.1 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 का आयोजन संभावित रूप से **10 जनवरी, 2027 (रविवार) को इन 15 केंद्रों पर किया जाएगा - अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे एवं तिरुवनंतपुरम।**

2.2 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

2.3 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए अर्हक अंक पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 110 के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

2.4 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए ई-मेल द्वारा patentagentexam.ipo@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

## 3. परीक्षा की संरचना

3.1 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027: **09 जनवरी, 2027** (शनिवार)

3.2 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027: **10 जनवरी, 2027** (रविवार)

टीएई 2027 तथा पीएई 2027 दोनों परीक्षाएँ निम्नलिखित सारणी के अनुसार विभिन्न सत्रों में आयोजित की जाएँगी:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रश्न-पत्र-I | दो घंटे | वस्तुनिष्ठ प्रकार; बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें एक या एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं | 100 अंक | प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक |
| प्रश्न-पत्र-II | तीन घंटे | वर्णनात्मक प्रकार | 100 अंक | अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक |
| मौखिक परीक्षा (50 अंक) | मौखिक परीक्षा के लिए समय-सारणी (समय एवं स्थान) लिखित परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात घोषित की जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग-अलग न्यूनतम **50% अंक** प्राप्त किए हों, मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मौखिक परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। | | | |

टिप्पणी:

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व प्रश्न-पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 4. पेटेंट एजेंट परीक्षा के लिए अर्हक अंक:

पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 110 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को पेटेंट एजेंट परीक्षा 2027 में "उत्तीर्ण/योग्य" घोषित किया जाएगा।

## 5. व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा के लिए अर्हक अंक:

व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 148(2) के अंतर्गत व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए अर्हक अंक, पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए लागू अर्हक अंकों के समान होंगे।

## 6. शैक्षणिक योग्यता:

### 6.1 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027

पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

**टिप्पणी:** जिस अभ्यर्थी का नाम पेटेंट एजेंट के रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु योग्य पाया जाता है, उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126(1)(c) के प्रावधानों के अनुसार विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री की प्रति, पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख तारीख से छह (06) माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

### 6.2 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027

व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

**टिप्पणी:** जिस अभ्यर्थी का नाम ट्रेड मार्क एजेंटों के रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु योग्य पाया जाता है, उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के प्रावधानों के अनुसार अर्हक डिग्री, व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2027 के अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से छह (06) माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

## 7. पाठ्यक्रम

7.1 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए:

पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित), पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित), डिज़ाइन अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित), डिज़ाइन नियम, 2001 (यथा संशोधित) तथा बौद्धिक संपदा विधिशास्त्र से संबंधित विषय।

7.2 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए:

- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) एवं व्यापार चिह्न नियम, 2017 (यथा संशोधित), वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शन अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित), वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन नियम, 2002 (यथा संशोधित) तथा बौद्धिक संपदा विधिशास्त्र से संबंधित विषय।
- पंजीकृत व्यापार चिह्न एजेंट, वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन जीआई एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है।

## 8. प्रश्न-पत्र के लिए भाषा का विकल्प

परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रश्न-पत्र की भाषा के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में से किसी एक का चयन करना होगा। आवेदन पत्र जमा किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा चुना गया भाषा विकल्प अंतिम माना जाएगा तथा इसके बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।

## 9. ऑनलाइन पंजीकरण की अवधि

अभ्यर्थी पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 तथा व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा,2027 के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.gov.in के माध्यम से **01/07/2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 30/09/2026 (रात्रि 11:59 बजे)** तक

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। **कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।** आवेदन करने का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध **नहीं** है। कार्यालय द्वारा आवेदकों को कोई ई-मेल/अन्य संचार नहीं भेजा जाएगा।

## 10. टीएई एवं पीएई 2027 की संभावित समय-सारणी

कृपया ध्यान दें कि यह समय-सारणी अभ्यर्थियों के संदर्भ हेतु संभावित है तथा कार्यालय की आवश्यकताओं/परिस्थितियों के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

| कार्यक्रम | तारीख |
|---|---|
| ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल प्रारंभ | 01 जुलाई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 30 सितंबर, 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक |
| प्रवेश-पत्र लिंक (ऑनलाइन) | 15 दिसंबर, 2026 से |
| व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2027 | 09 जनवरी, 2027 |
| पेटेंट एजेंट परीक्षा 2027 | 10 जनवरी, 2027 |
| लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा | फरवरी, 2027 का द्वितीय सप्ताह |
| चयनित अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा (भौतिक माध्यम) | फरवरी, 2027 का अंतिम सप्ताह |
| अंतिम परिणाम की घोषणा | मार्च, 2027 का तृतीय सप्ताह |

**अन्य अद्यतन सूचना के लिए वेबसाइट www.ipindia.gov.in का अवलोकन करें। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 01 जुलाई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 30 सितंबर, 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक खुला रहेगा।**

**कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।**

**हस्ताक्षर**
**महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापर चिह्न तथा**
**रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार एवं भौगोलिक उपदर्शन**

<u>**आवेदन दाखिल करने हेतु दिशा-निर्देश**</u>

अभ्यर्थी पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 तथा व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए **01 जुलाई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 30 सितंबर, 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक** ***<u>केवल ऑनलाइन माध्यम से</u>*** आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध **नहीं** है। कार्यालय द्वारा आवेदकों को कोई ई-मेल/अन्य संचार नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी अद्यतन सूचना के लिए शासकीय वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

**1. ऑनलाइन आवेदन हेतु अपेक्षाएँ:**

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को निम्नलिखित करना चाहिए—

1.1 उच्च गुणवत्ता वाली एवं स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो को JPG/JPEG प्रारूप में स्कैन करें, जिसका आकार 300 KB से अधिक न हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए तथा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटो के फ्रेम का कम से कम 60% भाग चेहरे द्वारा घिरा होना चाहिए।

1.2 स्पष्ट हस्ताक्षर (काली स्याही) को JPG/JPEG प्रारूप में स्कैन करें, जिसका आकार 100 KB से अधिक न हो। अंग्रेज़ी के **बड़े अक्षर** में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार **नहीं** किए जाएंगे।

1.3 निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ PDF प्रारूप में, अधिमानतः स्वप्रमाणित, तथा अन्य आवश्यक विवरण तैयार रखें—

i. आयु प्रमाण: PAN कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र आदि।
ii. डिग्री प्रमाण-पत्र: पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126(1)(c) अथवा व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के अनुसार, जो भी लागू हो।
iii. नागरिकता प्रमाण: पासपोर्ट/मतदाता पहचान-पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र।

1.4 एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सुनिश्चित करें।

1.5 एक वैध मोबाइल नंबर सुनिश्चित करें।

**2. टिप्पणी**

2.1 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के अंतर्गत अपनी पात्रता की जाँच कर सकते हैं। इसी प्रकार, पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126 के अंतर्गत अपनी पात्रता की जाँच कर सकते हैं। सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा पात्रता संबंधी मानदंड की जाँच केवल पेटेंट एजेंट प्रमाण-पत्र अथवा व्यापार चिह्न एजेंट प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के समय, आवश्यक लागू प्रपत्र एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर की जाएगी। **इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की है।**

2.2 यदि किसी अभ्यर्थी के पास ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व नई ई-मेल आईडी बनाने तथा मोबाइल नंबर प्राप्त करने की सलाह दी जाती है और परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनका जिम्मेदारीपूर्वक रख-रखाव करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित सभी संचार केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से किए जाएंगे।

2.3 आवेदक की फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियाँ स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए; अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

2.4 ***Final submit*** विकल्प पर क्लिक करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही से दर्ज किए गए हैं।

**3. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया**

3.1 www.ipindia.gov.in पर जाएँ।

"पेटेंट/व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रणाली 01/07/2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 30/09/2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक उपलब्ध रहेगी।

3.2 सफल पंजीकरण के बाद अपने खाते में साइन इन करें और ***आवेदन पत्र*** भरें। निर्धारित प्रारूप में रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण, नागरिकता प्रमाण एवं डिग्री प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।

3.3 ***Final submit*** बटन पर क्लिक करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा।

3.4 ***Make payment*** विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

3.5 लॉगिन करने के पश्चात मुख्य मेनू में क्रमशः ***प्री-व्यू तथा प्रिंट सीबीआर*** विकल्प का उपयोग करके जमा किए गए आवेदन-पत्र एवं भुगतान संबंधी विवरण कभी भी देखा जा सकता है।

3.6 आवेदन-पत्र की प्रति कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, मुंबई को डाक अथवा ई-मेल द्वारा **न भेजें।**

**4. टिप्पणी**

4.1 गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता जब्त/निरस्त कर दी जाएगी।

4.2 पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 एवं व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन करने का **ऑनलाइन** के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम नहीं है।

4.3 आवेदन को ***Save Draft*** विकल्प के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है और बाद में अंतिम तारीख से पहले पूरा किया जा सकता है।

4.4 अभ्यर्थी किसी भी मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, अधिमानतः **गूगल क्रोम।**

4.5 पॉप-अप ब्लॉकर को निष्क्रिय रखा जाना चाहिए।

4.6 *Final submit* विकल्प के माध्यम से आवेदन जमा किए जाने के बाद **परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

## 5. भुगतान का माध्यम

**पेटेंट एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन शुल्क ₹1,600/-** होगा, जैसा कि पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 109(3) के अंतर्गत निर्धारित है। **व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन शुल्क ₹4,500/-** होगा, जैसा कि व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 147 एवं 149 के अंतर्गत निर्धारित है। उक्त शुल्क का भुगतान केवल **ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंकिंग (इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई)** के माध्यम से किया जाएगा। **निर्धारित शुल्क के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।** विभिन्न बैंकों द्वारा लागू लेन-देन सुविधा शुल्क, यदि कोई हो, अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

## 6. टिप्पणी

6.1 अभ्यर्थियों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें तथा शुल्क जमा करने/आवेदन पूरा करने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट कनेक्शन/लेन-देन विफलता आदि जैसी संभावित समस्याओं से बचा जा सके।

6.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य दिवस में शाम 7:00 बजे के बाद भुगतान करें। यह सावधानी कार्य घंटों के दौरान NTRP पोर्टल पर संभावित अत्यधिक ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बरती जा रही है।

6.3 सभी अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने की तारीख परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। **ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।**

## 7. ई-प्रवेश-पत्र (e-Admit Card)

7.1 आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट से ई-प्रवेश-पत्र की रंगीन प्रति डाउनलोड करनी होगी। प्रवेश-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए संभावित रूप से 15 दिसंबर, 2026 से 10 जनवरी, 2027 तक उपलब्ध होंगे; तथापि, विशेष परिस्थितियों में इन तारीखयों में परिवर्तन किया जा सकता है। **आवेदकों को कार्यालय द्वारा कोई ई-मेल/अन्य संचार नहीं भेजा जाएगा। आवेदकों को अद्यतनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।**

7.2 आवेदकों को वेबसाइट www.ipindia.gov.in नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

7.3 प्रवेश-पत्र के पीछे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

7.4 ई-प्रवेश-पत्र के साथ छेड़छाड़ करना एक आपराधिक अपराध है।

## 8. विफल लेन-देन

पेटेंट एजेंट परीक्षा 2027 के आवेदन-पत्र जमा करते समय भुगतान एवं लेन-देन विफलता से संबंधित कोई भी प्रश्न केवल अभ्यर्थी की पंजीकृत ई-मेल आईडी से patentagentexam.ipo@nic.in पर तथा व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2027 के लिए trademarkagtexam.tmr@gov.in पर भेजा जा सकता है। ई-मेल में अभ्यर्थी का नाम, Applicant ID तथा Transaction ID अवश्य उल्लेखित किया जाए।

## 9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

| क्र. सं. | प्रश्न: | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | मेरे 10वीं बोर्ड प्रमाण-पत्र/अन्य दस्तावेजों में नाम अलग है, क्योंकि विवाह के बाद मेरा उपनाम/नाम बदल गया है। | वर्तमान नाम के साथ आवेदन करें। परीक्षा केंद्र पर वर्तमान नाम वाला पहचान-पत्र साथ लाना आवश्यक है। |
| 2. | पृष्ठ खुलने में असामान्य रूप से अधिक समय लग रहा है। | यह अच्छी/खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं गति का मामला है। आप अपने द्वारा दर्ज किए गए विवरण को ***Save Draft करें*** विकल्प के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं तथा अंतिम तारीख से पहले बाद में आवेदन पूरा कर सकते हैं। |
| 3. | इंटरनेट/सर्वर की समस्या के कारण मैं अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा नहीं कर सका। | इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख से काफी पहले प्रक्रिया पूर्ण कर लें। |
| 4. | इंटरनेट/सर्वर की समस्या के कारण मैं अंतिम तारीख से पहले अपने आवेदन का शुल्क जमा नहीं कर सका। | इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख से काफी पहले प्रक्रिया पूर्ण कर लें। |
| 5. | मैं यह कैसे सुनिश्चित करूँ कि मेरा आवेदन पूर्ण है? | जब सीबीआर उत्पन्न हो जाता है, तब आवेदन पूर्ण माना जाता है। कृपया ***प्रिंट सीबीआर*** की जाँच करें। |
| 6. | यदि लेन-देन विफल हो जाता है, तो क्या काटी गई राशि वापस की जाएगी? | भुगतान गेटवे पर असफल लेन-देन की स्थिति में, यदि उपयोगकर्ता के बैंक खाते से राशि काट ली गई है और भुगतान गेटवे पर लेन-देन असफल दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान गेटवे द्वारा राशि उपयोगकर्ता के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने की अंतिम तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | यदि लेन-देन विफल हो जाता है, तो दोबारा भुगतान करने से पहले कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? | यदि लेन-देन असफल रहा है, तो उपयोगकर्ताओं को दोबारा भुगतान का प्रयास करने से पहले कम से कम 60 मिनट प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। उपयोगकर्ताओं को भुगतान की स्थिति जानने के लिए मुख्य मेनू में ***लंबित लेन-देन*** भी देखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने की अंतिम तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। |
| 8. | सफल भुगतान के बाद भी CBR उत्पन्न नहीं होता है तो क्या करें? | यदि "सफल" लेन-देन के विरुद्ध सीबीआर उत्पन्न नहीं हुआ है और भुगतान गेटवे पर "सफलता" दिखाई दे रहा है, तो दोबारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक भुगतान की स्थिति जानने के लिए मुख्य मेनू में ***लंबित लेन-देन*** पर जा सकता है। कठिनाई होने पर patentagentexam.ipo@nic.in अथवा trademarkagtexam.tmr@gov.in पर लिखें। किसी भी परिस्थिति में आवेदन की अंतिम तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। |
| 9. | मैं परीक्षा केंद्र बदलना चाहता हूँ। | *Final submit* के माध्यम से आवेदन जमा किए जाने के बाद परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 10. | मैं पूर्ण आवेदन कार्यालय सीजीपीडीटीएम को नहीं भेज सका। | आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह **ऑनलाइन** है और आपको इसकी भौतिक प्रति डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रति ई-मेल द्वारा भेजने की आवश्यकता **नहीं** है। |
| 11. | वेबसाइट अथवा प्रवेश-पत्र पर *मौखिक परीक्षा* के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। | *मौखिक परीक्षा* की समय-सारणी लिखित परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात घोषित की जाएगी। *मौखिक परीक्षा* के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, *मौखिक परीक्षा* में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। |
| 12. | मैं प्रवेश-पत्र कब प्रिंट कर सकता हूँ? | परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र 15 दिसंबर, 2026 से 10 जनवरी, 2027 तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इसकी अच्छी गुणवत्ता वाली रंगीन प्रति साथ लाना आवश्यक है। वास्तविक समय के अद्यतनों के लिए आईपीओ की वेबसाइट देखी जा सकती है। |
| 13. | मैं दृष्टिबाधित/दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और परीक्षा में सहायता की आवश्यकता है। | आप **25/12/2026 से पहले** patentagentexam.ipo@nic.in अथवा trademarkagtexam.tmr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से अनुरोध भेज सकते हैं। इसके साथ वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा, जैसा लागू हो, सहायक/रीडर/राइटर/रीडर एवं राइटर का पहचान-पत्र संलग्न करना होगा।<br>रीडर/राइटर/रीडर एवं राइटर<br>विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/संबंधित क्षेत्र/कानून/आईपी से संबंधित क्षेत्र में स्नातक अथवा ऐसे विषय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा व्यक्ति नहीं होना चाहिए।<br>ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर अतिरिक्त दस्तावेज भी माँगे जा सकते |

| | | |
|---|---|---|
| | | हैं। |
| 14. | मैंने मुंबई केंद्र के लिए आवेदन किया है, अब मैं इसे किसी अन्य शहर में बदलना चाहता हूँ। | *Final submit* के माध्यम से आवेदन जमा किए जाने के बाद परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 15. | मैं जयपुर में रहता हूँ, लेकिन जयपुर परीक्षा केंद्र के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है।<br><br>यदि मैं दिल्ली को केंद्र के रूप में चुनता हूँ, तो क्या मुझे निश्चित रूप से दिल्ली ही मिलेगा? | परीक्षा केवल निम्नलिखित 15 शहरों में आयोजित की जाएगी।<br><br>अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे एवं तिरुवनंतपुरम।<br><br>संभावना है कि आवेदकों को उनकी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। तथापि, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। |
| 16. | मैं कार्यालय सीजीपीडीटीएम द्वारा आवास एवं भोजन की व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूँ। | कार्यालय सीजीपीडीटीएम द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऐसी सभी व्यवस्थाएँ स्वयं करनी होंगी। |
| 17. | क्या कार्यालय सीजीपीडीटीएम द्वारा यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा? | नहीं। अभ्यर्थियों को सभी ऐसी व्यवस्थाएँ अपने स्वयं के खर्च पर करनी होंगी। |
| 18. | यदि मैं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता हूँ, तो क्या जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा? | एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। |
| 19. | मैं दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? | हाँ। यह अभ्यर्थी की पसंद है, क्योंकि दोनों परीक्षाएँ अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएँगी। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जाँच करें। |
| 20. | कृपया किसी प्रशिक्षण संस्थान के बारे में मार्गदर्शन करें। | कार्यालय सीजीपीडीटीएम पेटेंट/व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा की तैयारी के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता नहीं देता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पेटेंट अधिनियम एवं पेटेंट नियम (समय-समय पर यथा संशोधित), व्यापार चिह्न अधिनियम एवं व्यापार चिह्न नियम (समय-समय पर यथा संशोधित), संबंधित न्यायिक निर्णय तथा पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का अध्ययन करें। ये संदर्भ हेतु www.ipindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। |
| 21. | मैं अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, क्या मैं एजेंट बन सकता हूँ? | जिस अभ्यर्थी का नाम पेटेंट/व्यापार चिह्न एजेंट के रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु योग्य पाया जाता है, उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 126(1)(c) के अनुसार विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री की प्रति, पेटेंट/व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा, 2027 के अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से छह (06) माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? | कार्यालय सीजीपीडीटीएम पेटेंट/व्यापार चिह्न एजेंट के रूप में पंजीकरण से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया की सूचना देगा। योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित नियमों एवं अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात उनका सत्यापन किया जाएगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क विधिवत प्रस्तुत किए जाने और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। |

## 10. हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी सलाह

अभ्यर्थी के **काली स्याही** से सफेद कागज पर किए गए हस्ताक्षर को स्कैन किया जाना चाहिए तथा अपलोड करने के लिए संबंधित भाग को क्रॉप किया जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी पूरे पृष्ठ पर छोटे, बिना क्रॉप किए हुए हस्ताक्षर अपलोड करेगा, उसका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

## 11. फोटो अपलोड करने संबंधी सलाह

टिप्पणी: कार्यालय उन अभ्यर्थियों के आवेदन/अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर सकता है, जो नीचे दिए गए स्वीकार्य प्रारूप के अनुसार फोटो प्रस्तुत नहीं करते हैं। उचित फोटो प्रस्तुत न करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी को फोटो के लिए केवल सफेद या नीली पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देनी चाहिए। पोर्ट्रेट मोड तथा चेहरे पर मास्क वाली फोटो स्वीकार्य नहीं है।

| अस्वीकार्य | अस्वीकृति का कारण | स्वीकार्य |
| --- | --- | --- |
| | मोबाइल से खींची गई फोटो | |
| | नीली पृष्ठभूमि | |
| | चेहरे का क्षेत्र 50% से कम | |
| | कैमरे की ओर सीधे न देखना | |
| 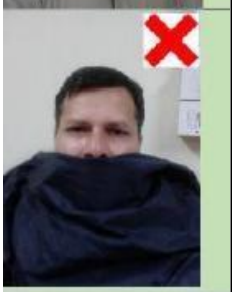 | चेहरा आंशिक रूप से ढका होना<br><br>Page 11 of 17 | |

| | | |
|---|---|---|
| | चेहरे पर छाया/अलग पृष्ठभूमि | |
| | अनुचित फ्लैश | |
| | चश्मे पर प्रकाश की चमक | |
| | चेहरे पर गहरे रंग का चश्मा | |
| | फोटो का खराब रिज़ॉल्यूशन | |

## 12. परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. कार्यालय सीजीपीडीटीएम की वेबसाइट www.ipindia.gov.in से प्रवेश-पत्र की रंगीन प्रति निकालने के तुरंत बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र में उल्लिखित सभी विवरणों, जैसे नाम, फोटो, हस्ताक्षर, आवेदक आईडी, जिस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया गया है, परीक्षा केंद्र (नाम, पता आदि), परीक्षा की तारीख एवं समय आदि का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए। किसी भी विसंगति की स्थिति में इसकी सूचना patentagentexam.ipo@nic.in अथवा trademarkagtexam.tmr@gov.in पर ई-मेल द्वारा दी जानी चाहिए।

2. यदि ई-प्रवेश-पत्र में लगी फोटो कार्यालय सीजीपीडीटीएम द्वारा पूर्व में जारी "आवेदन जमा करने के लिए दिशा-निदेश" के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपनी दो पासपोर्ट आकार की

फोटो साथ लानी होगी। यदि ई-प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर स्पष्ट/दृश्य नहीं है, तो अभ्यर्थी को सरकार द्वारा जारी ऐसा फोटो पहचान-पत्र साथ लाना होगा, जिसमें उसके हस्ताक्षर अंकित हों।

3. अभ्यर्थियों को "उम्मीदवारों के लिए निदेश" को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। चूँकि मुख्य उत्तर-पुस्तिका के ओएमआर आधारित कवर पृष्ठ पर अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विवरण परिणाम प्रसंस्करण के लिए मशीन द्वारा पढ़े जाएंगे, इसलिए उसमें गलत जानकारी दिए जाने से अभ्यर्थी का परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। ऐसी गलती को सुधारने की जिम्मेदारी कार्यालय सीजीपीडीटीएम की नहीं होगी।

4. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित साथ लाना अनिवार्य है: (i) प्रवेश-पत्र — यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश-पत्र पर कुछ भी न लिखा गया हो; तथा (ii) भारत सरकार द्वारा विधिवत जारी/अधिकृत पहचान-पत्र, जिससे पहचान स्थापित हो सके और परीक्षा कक्ष में प्रवेश प्राप्त किया जा सके। इनके अभाव में परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, UID आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि, ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए।

5. इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुएँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति होगी:

क दिव्यांग (पीडब्लूडी) अभ्यर्थियों के लिए संस्थान द्वारा दी गई विशेष अनुमति, यदि कोई हो;

ख लेखन सामग्री — पेन, पेंसिल, रबर, स्केल तथा परीक्षा लेखन के लिए आवश्यक अन्य स्टेशनरी, पारदर्शी पाउच में;

ग पारदर्शी पानी की बोतल (हालाँकि परीक्षा केंद्र पर पीने का पानी उपलब्ध होगा);

घ पारदर्शी परीक्षा बोर्ड;

ङ केवल एनालॉग कलाई घड़ी। स्मार्ट वॉच अथवा विशेष एक्सेसरी वाली घड़ी की अनुमति नहीं होगी। अन्य किसी विनिर्देश वाली घड़ी की अनुमति नहीं होगी।

च किसी अन्य वस्तु को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

6. मोबाइल फोन सहित व्यक्तिगत सामान परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मूल्यवान व्यक्तिगत सामान न लाएँ। कार्यालय सीजीपीडीटीएम अथवा परीक्षा केंद्र परीक्षा केंद्र पर लाई गई वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करने अथवा उनके खोने, क्षतिग्रस्त होने या चोरी होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में कार्यालय सीजीपीडीटीएम द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

7. परीक्षा केंद्र के अधीक्षक एवं निरीक्षकों को प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय तथा उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लेते समय सत्यापित करने के निदेश दिए गए हैं। अतः

परीक्षा के दौरान किसी भी समय माँगे जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र निरीक्षक/पर्यवेक्षण स्टाफ को दिखाना होगा।

8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए परीक्षा के दिन से पहले परीक्षा केंद्र के स्थान पर जाकर सटीक स्थान की जानकारी प्राप्त कर लें।

9. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से **30 मिनट पूर्व** व्यवस्थित तरीके से (एक समय में एक अभ्यर्थी) परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने तथा आवंटित सीट पर बैठने की अनुमति होगी।

9क. परीक्षा प्रारंभ होने के **15 मिनट के बाद** किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को **निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी: (i) प्रश्न-पत्र की निर्धारित आधी अवधि पूरी होने से पहले तथा प्रश्न-पत्र जमा किए बिना**; (ii) उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना; तथा (iii) अपनी ओएमआर शीट/उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को विधिवत सौंपे बिना। एक बार प्रश्न-पत्र/ओएमआर शीट/उत्तर-पुस्तिका जमा कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को उन्हें पुनः देखने की अनुमति नहीं होगी।

10. परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व ओएमआर शीट/उत्तर-पुस्तिका तथा 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र अभ्यर्थियों को वितरित किए जाएंगे।

11. **अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश-पत्र पर निरीक्षक की उपस्थिति में उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। केवल हस्ताक्षरित ई-प्रवेश-पत्र को ही, योग्य पाए जाने पर, मौखिक परीक्षा/पेटेंट एजेंट/व्यापार चिह्न एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु वैध माना जाएगा।**

12. यदि अभ्यर्थी पेटेंट एजेंट/व्यापार चिह्न एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य है, तो पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक ई-प्रवेश-पत्र को **सुरक्षित रखना अनिवार्य है।**

13. प्रवेश-पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

14. यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र में उल्लिखित केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका/परिणाम रद्द किया जा सकता है।

15. अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में आवंटित सीटों के सामने उनके रोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे। उन्हें केवल अपनी आवंटित सीट पर ही बैठना होगा।

16. यदि परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण चिकित्सीय आधार पर विशेष बैठने की व्यवस्था आवश्यक हो, तो संबंधित अभ्यर्थी सहायक दस्तावेजों की प्रतियों सहित अपना आवेदन केंद्र अधीक्षक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। **कार्यालय सीजीपीडीटीएम,**

**नई दिल्ली की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र द्वारा विशेष बैठने की व्यवस्था सहित कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।**

17. परीक्षा लिखने का माध्यम हिंदी या अंग्रेज़ी होगा।

18. अभ्यर्थियों को मुख्य ओएमआर शीट/उत्तर-पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में अपना रोल नंबर अंकों में लिखना होगा तथा संबंधित ओएमआर वृत्तों को **केवल नीले या काले बॉल-पॉइंट पेन** से गहरा करना होगा। उत्तर-पुस्तिका में अन्य किसी स्थान पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन अनुचित साधनों के प्रयोग के समान माना जाएगा और इसके लिए दंड दिया जा सकता है, जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाना भी शामिल है।

19. अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अभ्यर्थियों को निरीक्षक की उपस्थिति में ओएमआर शीट (पेपर-I)/उत्तर-पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उस पर निरीक्षक द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किए गए हों।

20. प्रत्येक अभ्यर्थी को स्वयं यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे सही एवं पूर्ण प्रश्न-पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्न-पत्र सेट कोड के संदर्भ में प्रश्न-पत्र की जाँच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नों की कुल संख्या एवं मुद्रित पृष्ठ सही एवं पूर्ण हैं।

21. दोनों प्रश्न-पत्र सामान्यतः केवल अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा की भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया है, उन्हें प्रश्न-पत्र हिंदी में प्राप्त होंगे।

22. ओएमआर शीट की कार्बन प्रति अभ्यर्थी फाड़कर अपने पास रख सकते हैं।

23. अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वयं की हस्तलिपि में **नीले या काले रंग के बॉल-पॉइंट पेन** से लिखने होंगे। **लाल या हरे रंग की स्याही अथवा किसी अन्य रंग की स्याही से उत्तर लिखना निषिद्ध है।** अतः अभ्यर्थियों को अपना पेन स्वयं लाने की सलाह दी जाती है। परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से कोई वस्तु उधार लेना, देना या उसका आदान-प्रदान करना निषिद्ध है।

24. उत्तर-पुस्तिका में उत्तर लिखने के लिए 32 पृष्ठ होते हैं। अभ्यर्थियों को मुख्य उत्तर-पुस्तिका के सभी पृष्ठों के दोनों ओर उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उपलब्ध स्थान का विवेकपूर्ण उपयोग करें। **अभ्यर्थियों को उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई पूरक शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।**

25. अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, तो केवल आवश्यक संख्या तक सबसे पहले किए गए प्रश्नों का ही मूल्यांकन कर अंक दिए जाएंगे तथा शेष उत्तरों को अनदेखा कर दिया जाएगा।

26. अभ्यर्थी को प्रत्येक उत्तर की शुरुआत में संबंधित प्रश्न संख्या स्पष्ट एवं प्रमुख रूप से लिखनी होगी। उत्तर-पुस्तिका के बाएँ किनारे पर प्रश्न संख्या/उप-प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें तथा उत्तरों या उत्तर-पुस्तिकाओं के बीच कोई खाली स्थान/पृष्ठ न छोड़ें।

27. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित हस्तलिपि में दें। जहाँ लागू हो, उत्तरों के समर्थन में संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का उल्लेख, न्यायिक निर्णयों का उद्धरण, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा तार्किक निष्कर्ष प्रस्तुत करें और कानूनों में किए गए संशोधनों से भली-भाँति परिचित हों।

28. अभ्यर्थियों को अपने उत्तर पठनीय ढंग से लिखने चाहिए। खराब एवं अपठनीय हस्तलिपि वाली किसी भी उत्तर-पुस्तिका को परीक्षक द्वारा **"शून्य"** अंक दिए जा सकते हैं।

29. उत्तर-पुस्तिका की पुनः जाँच नहीं की जाएगी, बल्कि प्राप्त अंकों का पुनः योग किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच/पुनः योग के अनुरोध पर परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा से अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

30. अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र पर कुछ भी लिखने से सावधान किया जाता है। प्रश्न-पत्र पर संकेत, बुलेट पॉइंट, संक्षिप्त उत्तर आदि लिखना पूर्णतः निषिद्ध है।

31. उत्तर-पुस्तिका के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना, किसी भी कारण से उसके पृष्ठ फाड़ना अथवा उसे परीक्षा कक्ष/कमरे से बाहर ले जाना कदाचार माना जाएगा और इसके लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

32. अभ्यर्थियों को यह सख्त सलाह दी जाती है कि वे उत्तर-पुस्तिका में कोई अप्रासंगिक/अनावश्यक सामग्री न लिखें, अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर न लिखें, उत्तीर्ण अंक प्रदान करने हेतु परीक्षकों से अपील न करें, नीले/काले रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के पेन का प्रयोग न करें, प्रश्न-पत्र की आलोचना न लिखें, धार्मिक/विशेष प्रतीक, भगवान के चित्र/स्केच अथवा भगवान को संबोधन/प्रार्थना आदि न लिखें। अभ्यर्थियों को मूल्यांकनकर्ताओं के लिए निर्धारित मुख्य उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की सारणी पर टिक मार्क (√), क्रॉस मार्क (X) अथवा प्रश्न संख्या नहीं लिखनी चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन अनुचित साधनों के प्रयोग के समान माना जाएगा और अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

33. परीक्षा प्रारंभ होने के **15 मिनट के बाद** किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी: (i) प्रश्न-पत्र की निर्धारित आधी अवधि पूर्ण होने से पहले तथा प्रश्न-पत्र जमा किए बिना; (ii) उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना; तथा (iii) अपनी ओएमआर शीट/उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को विधिवत सौंपे बिना।

34. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी ड्यूटी पर तैनात केंद्र अधीक्षक/निरीक्षकों/सामान्य पर्यवेक्षकों से किसी प्रश्न/प्रश्न-पत्र के संबंध में कोई स्पष्टीकरण/व्याख्या/सलाह नहीं माँगेंगे। परीक्षा कक्ष में प्रश्नों के संबंध में कोई ब्रीफिंग नहीं की जाएगी।

35. निरीक्षक/केंद्र अधीक्षक की विशिष्ट अनुमति के बिना कोई अभ्यर्थी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा।

36. कोई अभ्यर्थी नकल करने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, नकल करते हुए पाया जाता है, किसी मुद्रित/हस्तलिखित सामग्री, नोट्स, पुस्तकों, मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का संदर्भ लेते हुए या अपने पास रखते हुए पाया जाता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नोट्स या उत्तर-पुस्तिकाओं का आदान-प्रदान करता है, किसी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर से नकल करता है, किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका में उत्तर लिखता है, किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति से उत्तर लिखवाता है, किसी अन्य अभ्यर्थी को नकल करने/अपने उत्तर का संदर्भ लेने देता है, किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से सहायता लेता या माँगता है अथवा परीक्षा कक्ष में शब्दों, संकेतों, हाव-भाव, कोड या अन्य समान माध्यमों से प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान, प्रदान या प्राप्त करता है, तो इसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष अथवा परीक्षा केंद्र परिसर के गलियारे/शौचालय में किसी व्यक्ति से परामर्श करता, बात करता या फुसफुसाता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

37. कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में कोई पुस्तक, अध्ययन सामग्री, हस्तलिखित अथवा मुद्रित नोट्स, कागज के टुकड़े (चिट), मोबाइल फोन, वैज्ञानिक या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, लैपटॉप, पामटॉप, स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/गैजेट नहीं लाएगा। अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि परीक्षा कक्ष/कमरे/परिसर में किसी भी अभ्यर्थी के संदिग्ध व्यवहार की स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी तलाशी/फ्रिस्किंग की जा सकती है कि उसके पास कोई प्रतिबंधित/आपत्तिजनक वस्तु नहीं है।

38. अभ्यर्थियों को अफवाहें फैलाने तथा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि सोशल मीडिया वेबसाइटों पर परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए। देखी गई किसी भी संदिग्ध गतिविधि/फैलाई जा रही अफवाह की सूचना तत्काल निकटतम परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक को दी जानी चाहिए।

39. परीक्षा कक्ष/हॉल/केंद्र परिसर के अंदर धूम्रपान, तंबाकू चबाना, पान/सुपारी, नशीले पदार्थ आदि का सेवन अथवा उन्हें ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

40. केंद्र अधीक्षक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि यदि उनकी राय में कोई अभ्यर्थी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है/करने का प्रयास कर रहा है, परीक्षा कक्ष के अंदर या आसपास अव्यवस्थित व्यवहार कर रहा है, अधीक्षक या निरीक्षण स्टाफ को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुँचा रहा है, अवैध पारितोषिक देने का प्रयास कर रहा है अथवा परीक्षा के संचालन

से जुड़े किसी व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव डालने, धमकी देने या ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे परीक्षा कक्ष से बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार निष्कासित किए गए अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने से पूर्व केंद्र अधीक्षक को अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

41. **दिव्यांग (पीडब्लूडी) अभ्यर्थियों के लिए विशेष सहायता यदि किसी पीडब्लूडी (दिव्यांगजन) अभ्यर्थी को परीक्षा आयोजकों से किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है, तो उसे परीक्षा प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व अनुरोध करना होगा।**

42. अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सेट कोड (प्रश्न-पत्र-I के शीर्ष पर यथा उल्लिखित) को ओएमआर उत्तर-पत्रक में सही ढंग से भरना अनिवार्य है क्योंकि परिणाम की गणना के लिए इसे अंतिम माना जाएगा। प्रश्न-पत्र सेट कोड नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।